भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3478
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

धुबरी में न्यायिक अवसंरचना

3478. मोहम्मद रकीबुल हुसैन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के धुबरी जिले में बढ़ते मामलों को निपटाने तथा समय पर न्याय प्रदान करने के लिए जिला न्यायालय की कार्यप्रणाली तथा बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) सरकार न्यायिक प्रणाली में देरी को कम करने और उक्त जिले में मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक रिक्तियों और प्रशिक्षित न्यायिक कर्मचारियों की कमी के मुद्दे का किस प्रकार समाधान कर रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायिक अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित होता है। केंद्रीय सरकार, न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों में सहायता करती है। इस स्कीम के अंतर्गत वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कमरों के साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय इकाइयों का निर्माण सम्मिलित है । स्कीम के प्रारंभ से अब तक 11,88629 करोड़ रु जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 36063 करोड़ रु असम राज्य को जारी किए जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में, 2020-21 से शुरू होकर, असम राज्य को 154.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और असम सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, धुबरी में एक नए न्यायिक न्यायालय भवन का निर्माण, जिसमें 20 न्यायालय हॉल, 01 वकील हॉल, 04 डिजिटल कंप्यूटर रूम और 93 शौचालय शामिल हैं, 42.24 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से पूरा हो गया है।

(ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम और विनियम विरचित करती है। मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ, कुछ समय-सीमाएं विहित की हैं, जिनका जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन नियुक्त किया जाता है।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने का एकमात्र कारण न्यायाधीशों का रिक्त होना नहीं है। न्यायालयों में मामलों की लंबितता, अनेक कारकों के कारण उत्तरदायी है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता, जटिलता इसमें शामिल तथ्यों, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच अधिकरण, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । मामलों के निपटान में विलंब के अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है।

****